उम्मीद की किरण : इजराइल-हमास समझौता

द हिंदू

पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

लड़ाई में एक ठहराव के बदले में बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का इजराइल और हमास के बीच हुआ समझौता गाजा पट्टी के उन 23 लाख लोगों को एक बहुत जरूरी मानवीय राहत प्रदान करता है, जो 7 अक्टूबर से अकथनीय दुखभरी जिंदगी जी रहे हैं। कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत में हुए समझौते के मुताबिक, हमास 50 नागरिक बंधकों को रिहा करेगा जबकि इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। दोनों पक्ष चार दिनों तक लड़ाई भी बंद रखेंगे। इजरायल की सरकार ने कहा है कि अगर हमास और ज्यादा संख्या में बंधकों को रिहा करता है, तो लड़ाई में ठहराव की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस एलान से ज्यादा स्थायी युद्धविराम हासिल करने की उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में किए गए सीमा-पार हमले, जिसमें कम से कम 1,200 लोग मारे गए थे, के दौरान लगभग 240 बंधकों को पकड़ लिया था। जब इजराइल ने उसी दिन अपना जवाबी हमला शुरू किया, तो उसने "हमास को कुचल देने", गाजा की ओर से पैदा होने वाले सुरक्षा संबंधी खतरों को हमेशा के लिए खत्म करने और बंधकों को मुक्त कराने का वादा किया। पिछले छह हफ्तों के दौरान, इजरायल के हमलों ने गाजा को एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। इन जवाबी हमलों में कम से कम 13,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन इजराइल ने साथ-ही-साथ बंधकों को मुक्त कराने के लिए हमास के साथ परोक्ष तरीके से बातचीत शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान समझौता हुआ।

लेकिन इतना काफी नहीं है। बमबारी, गोलाबारी एवं विस्थापन के शिकार और भोजन, ईंधन एवं दवाओं जैसे जरूरी सामानों की आपूर्ति से वंचित होने वाले गाजा के लोग तुरंत एक स्थायी युद्धविराम चाहते हैं। इजराइल ने शुरू में "हमास के आतंकवादियों" के साथ कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया था और इस इस्लामी आतंकवादी समूह को मिटा देने का वादा किया था। हमास द्वारा फैलाए गए दहशत के मद्देनजर इजराइल का गुस्सा समझ में आता है। लेकिन इसके जवाब में, इंतकाम लेने वाला इजराइल सामूहिक रूप से गाजा के लोगों को सजा दे रहा है। कई इजरायली मंत्रियों ने परमाणु खतरों से लेकर दक्षिणी गाजा में महामारी का स्वागत करने जैसे खतरनाक और घिनौने बयान जारी किए हैं। लेकिन छह हफ्तों की लड़ाई के बाद, इजराइल अपने खुद के घोषित मकसदों को हासिल करने से कोसों दूर है। यह उसकी सैन्य रणनीति की कारगरता पर सवालिया निशान है। उसने गाजा की सबसे बड़ी चिकित्सा सुविधा अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर स्थित होने का आरोप लगाते हुए, उसपर हमला कर दिया। एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी, इजराइल ने अभी तक अपने इस दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया है। लेकिन इजराइल और हमास के एक समझौते पर पहुंच जाने का तथ्य यह बताता है कि शोरशराबे भरे प्रचार और खूनी लड़ाई के बीच भी दोनों पक्ष उच्च एक-दूसरे के साथ संवाद के लिए तैयार हैं। उन्हें इस समझौते से पैदा हुए माहौल का फायदा उठाते हुए लड़ाई में आए इस ठहराव को आगे बढ़ाकर एक पूर्ण युद्धविराम में बदलना चाहिए। सभी बंधकों को रिहा कराने, फिलिस्तीनियों को स्थायी राहत प्रदान करने और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है।

गाजा पट्टी नाकाबंदी के बारे में?

- गाजा में आवश्यक आपूर्ति को अवरुद्ध करने की इजराइल की योजना, जिससे दो मिलियन लोग प्रभावित होंगे, सामूहिक दंड, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (आईएचएल) का उल्लंघन है।
- यह इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि व्यक्तियों को दूसरों के कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए और हमलों से पहले प्रभावी अग्रिम चेतावनी के लिए आईएचएल की आवश्यकता का उल्लंघन करता है। दोनों पक्षों को आईएचएल का समर्थन करना चाहिए।

युद्ध अपराध क्या हैं?

- युद्ध अपराधों में संघर्षों के दौरान मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन शामिल है।
- ICC का रोम कानून इसकी परिभाषा प्रदान करता है, जो 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों से लिया गया है।
- यह किसी राज्य या उसके सशस्त्र बलों की ओर से किए गए कार्यों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही के सिद्धांत पर केंद्रित है। उदाहरणात्मक उदाहरणों में बंधक बनाना, जानबूझकर हत्याएं, युद्धबंदियों पर अत्याचार या अमानवीय व्यवहार और बाल सैनिकों की भर्ती शामिल हैं।

युद्ध अपराध के लिए मानदंड क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून यह निर्धारित करने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांतों को नियोजित करता है कि किसी व्यक्ति या सेना ने युद्ध अपराध किया है या नहीं-

- **भेद:** यह सिद्धांत उन उद्देश्यों को लक्षित करने से मना करता है जो अपेक्षित सैन्य लाभ की तुलना में नागरिकों या नागरिक बुनियादी ढांचे को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- **आनुपातिकता :** आनुपातिकता किसी हमले के जवाब में असंगत बल के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। उदाहरण के लिए, यह अंधाधुंध प्रतिशोध पर रोक लगाता है, जैसे कि एक सैनिक की मौत के लिए पूरे शहर पर बमबारी करना।
- **एहतियात:** संघर्ष में शामिल पक्ष ऐसे उपाय करने के लिए बाध्य हैं जो नागरिक आबादी को होने वाले नुकसान को रोकते हैं या कम करते हैं।

जिनेवा कन्वेंशन (1949) क्या हैं?

- 1949 में अपने अतिरिक्त प्रोटोकॉल के साथ स्थापित जिनेवा कन्वेंशन, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सशस्त्र संघर्ष की क्रूरता को कम करने के लिए मौलिक नियम निर्धारित करते हैं।
- ये सम्मेलन गैर-लड़ाकों यानी नागरिकों, चिकित्सा कर्मियों, मानवीय कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं जो अब युद्ध में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं यानी घायल, बीमार और क्षतिग्रस्त जहाज सैन्य कर्मियों, साथ ही युद्ध के कैदियों।
- प्रथम जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान भूमि पर घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा करता है।
- दूसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और क्षतिग्रस्त जहाजों के सैन्य कर्मियों की रक्षा करता है।
- तीसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध के कैदियों पर लागू होता है, जिसमें सामान्य सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जैसे मानवीय उपचार, रखरखाव और कैदियों में समानता, कैद की स्थिति, पूछताछ और कैदियों की निकासी, पारगमन शिविर, भोजन, कपड़े, दवाएं, स्वच्छता और अधिकार कैदियों की धार्मिक, बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए।
- चौथा जिनेवा कन्वेंशन नागरिकों की रक्षा करता है, जिनमें कब्जे वाले क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। अन्य जिनेवा कन्वेंशन मुख्य रूप से नागरिकों के बजाय लड़ाकों से संबंधित थे।
- **1977 के दो प्रोटोकॉल:** 1949 के चार जिनेवा कन्वेंशन के अलावा 1977 में अपनाए गए। वे अंतरराष्ट्रीय (प्रोटोकॉल I) और गैर-अंतर्राष्ट्रीय (प्रोटोकॉल II) सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करते हैं और युद्ध लड़ने के तरीके पर सीमाएं लगाते हैं।
- 2005 में, एक अतिरिक्त प्रतीक, रेड क्रिस्टल बनाते हुए एक तीसरा अतिरिक्त प्रोटोकॉल अपनाया गया, जिसे रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट प्रतीक के समान अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : युद्ध अपराध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह किसी राज्य या उसके सशस्त्र बलों की ओर से किए गए कार्यों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही के सिद्धांत पर केंद्रित है।
2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रोम कानून इसकी परिभाषा प्रदान करता है, जो 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों से लिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 ना ही 2

Que. Consider the following statements in the context of war crimes-

1. It focuses on the principle of individual accountability for actions taken on behalf of a state or its armed forces.
2. The Rome Statute of the International Court of Justice provides its definition, which is derived from the principles of the Geneva Conventions of 1949.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 & 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : इजरायल हमास पूर्ण युद्ध विराम, सभी बंधकों को रिहा कराने, फिलिस्तीनियों को स्थायी राहत प्रदान करना आदि कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को शांत करने का एकमात्र तरीका है। टिप्पणी करें।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में इजरायल हमास के मध्य तात्कालिक अल्प युद्ध विराम की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इस युद्ध के क्षेत्र पर प्रभाव, युद्ध विराम एवं अन्य उपायों की आवश्यकता की चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।